न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारीः नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 75 / रा.भू.अधि. / 20 / 2012 / जैसलमेर

अपीलांट

1. शंकरलाल पुत्र श्री आईबक्स, जाति माली, उम्र 80 वर्ष निवासी मदागणों का बास, पोकरण, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर(राज.)।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, पोकरण जिला जैसलमेर

2. नखताराम पुत्र श्री पीथाराम, जाति माली सोलंकी, निवासी मदागणों का बास, पोकरण तहसील पोकरण जिला जैसलमेर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व जिला कलक्टर जैसलमेर के राजस्व निगरानी संख्या 02 / 2009 बअनवान नखताराम बनाम शंकरलाल वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 19.12.2011 के विरूद्व पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री अब्दुल रहमान मेहर अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।
3. वकील श्री सत्यनारायण पुरोहित रेस्पोडेंट संख्या 02 की ओर से।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः– 30.09.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट / अप्रार्थी शंकरलाल सद्भावी व भूमिहीन काश्तकार था। राजस्थान राज्य ने भूमिहीन काश्तकारों को काश्त हेतु भूमि आवंटन करने की प्रक्रिया के तहत सभी विधिवत कार्यवाहियां पूर्ण करने के उपरांत अपीलांट के पक्ष में दिनांक 17.06.1972 को राजकीय भूमि खसरा संख्या 1182 में से 65 बीघा भूमि आवंटित की गई। आवंटन आदेश की पालना में उप–जिलाधीश, जैसलमेर ने अपने आदेश क्रमांक 874 / 75 दिनांक 15.12.1972 के जरिये संबंधित तहसीलदार व हल्का पटवारी को मौके पर कब्जा सुपुर्द करने व नियमानुसार नामान्तकरण स्वीकृत करने का आदेश दिया एवं इस आदेश की अनुपालना में हल्का पटवारी ने बजरिये नामान्तकरण संख्या 481 सन् 1972 में ही अपीलांट के नाम खातेदारी दर्ज की, मौके पर कब्जा सुपुर्द किया। अपीलांट इस पर विधिवत व वास्तविक रूप से काबिज है। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांट ने सरकारी योजना अनुसार टयूबवेल का निर्माण किया है, रहवास हेतु रहवासीय ढाणी बनवाई है, पक्का निर्माण करवाया है और पिछले करीब 40 वर्षों से लगातार इस पर काबिज है, काश्त कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के विरूद्व आपसी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

द्वेष व दुश्मनी से अपीलांट के एक रिश्तेदार नखतमल पुत्र श्री पीथाराम ने एक झूठी शिकायत आवेदन अन्तर्गत 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम, 1970 के तहत पेश की। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी विधिवत कार्यवाही किये ही, मात्र इस आधार पर अपीलांट के पक्ष में हुए आवंटन को अपने अपीलाधीन आदेश से अपास्त कर दिया कि अपीलांट शंकरलाल बरवक्त आवंटन भूमिहीन काश्तकार नहीं था और उसके हिस्से में 23.12 बीघा भूमि आ रही थी। वक्त आवंटन अपीलांट के पिता स्व. आईबक्सजी जीवित थे। खसरा संख्या 397 रकबा 70.12 बीघा में अपीलांट के पिता एवं उनकी बहिन स्व. मुरगोदवी तथा अपीलांट स्वयं चार भाई थे। उसमें कुल 06 हिस्सेदार बन रहे थे। अपीलांट के हक में मात्र 11 बीघा जमीन आ रही थी, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का 1/3 हिस्सा मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि वास्तव में अपीलांट का 1/6 हिस्सा था। यदि अपीलांट का 1/6 हिस्सा भी मान लिया जावे अपीलांट के हिस्से में 23.10 बीघा भूमि आना माना भी जावे, तो भी अपीलांट बरवक्त भूमिहीन काश्तकार था। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलांट ने किसी तथ्य को छिपया है, क्योंकि वास्तव में अपीलांट भूमिहीन काश्तकार था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को पूर्ण रूप से नजरंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। 14(4) नियम, 1970 में प्रयुक्त शब्द Any person से तात्पर्य आवंटन के पक्षकारों से है। राजस्थान राज्य ने अपीलांट के पक्ष में आवंटन किया है, तो ऐसी स्थिति में मौजूदा प्रकरण में आवंटन को एकमात्र Aggrieved person नहीं था, ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट/प्रार्थी नखताराम को ऐसा आवेदन प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं था। अपीलाधीन विधि सम्मत नहीं होने से काबिल निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के विरूद्ध आपसी द्वेष व दुश्मनी से अपीलांट के एक रिश्तेदार नखतमल पुत्र श्री पीथाराम ने एक झूठी शिकायत आवेदन अन्तर्गत 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम, 1970 के तहत पेश की। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी विधिवत कार्यवाही किये ही, मात्र इस आधार पर अपीलांट के पक्ष में हुए आवंटन को अपने अपीलाधीन आदेश से अपास्त कर दिया कि अपीलांट शंकरलाल बरवक्त आवंटन भूमिहीन काश्तकार नहीं था और उसके हिस्से में 23.12 बीघा भूमि आ रही थी। वक्त आवंटन अपीलांट के पिता स्व. आईबक्सजी जीवित थे। खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

संख्या 397 रकबा 70.12 बीघा में अपीलांट के पिता एवं उनकी बहिन स्व. मुरगोदवी तथा अपीलांट स्वयं चार भाई थे। उसमें कुल 06 हिस्सेदार बन रहे थे। अपीलांट के हक में मात्र 11 बीघा जमीन आ रही थी, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का 1/3 हिस्सा मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि वास्तव में अपीलांट का 1/6 हिस्सा था। यदि अपीलांट का 1/6 हिस्सा भी मान लिया जावे अपीलांट के हिस्से में 23.10 बीघा भूमि आना माना भी जावे, तो भी अपीलांट बरवक्त भूमिहीन काश्तकार था। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलांट ने किसी तथ्य को छिपाया है, क्योंकि वास्तव में अपीलांट भूमिहीन काश्तकार था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को पूर्ण रूप से नजरंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। 14(4) नियम, 1970 में प्रयुक्त शब्द Any person से तात्पर्य आवंटन के पक्षकारों से है। राजस्थान राज्य ने अपीलांट के पक्ष में आवंटन किया है, तो ऐसी स्थिति में मौजूदा प्रकरण में आवंटन को एकमात्र Aggrieved person नहीं था, ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट/प्रार्थी नखताराम को ऐसा आवेदन प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं था। तृतीय पक्षकार ने अपीलांट को जानबूझकर अपीलांट को परेशान करने और उसे हानि पहुंचाने के उद्देश्य से न्यायालय में अपीलांट के विरूद्ध अपील पेश की गई। 1972 में आवंटन हुआ नियमानुसार भी 10 वर्ष बाद खातेदारी प्राप्त हो चुकी है, हर वर्ष खेती अपीलांट करता है, खातेदारी मिल चुकी है, खातेदारी मिलने के बाद इतना देरीना आवंटन खारिज करना विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। नियम 1970 के नियम 12 में स्पष्ट प्रावधान है, 10 एकड़ तक उक्त नियमों में आवंटन किया जा सकता है, पूर्व में धारित भूमि को सम्मिलित करते हुए 10 एकड़ तक भूमि आवंटित की जा सकती है। अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:-

RRT 2016(2) Page 756
RRT 2016(2) Page 769
RRD 2018 Page 479
RLW 2008(1) RJ Page 641

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि आवंटी वक्त आंवटन अपीलांट भूमिहीन नहीं था तथा उसके पिता के नाम की भूमि में से नोशनल शेयर में उसका हिस्सा निहीत था अपीलांट ने वक्त आवंटन तथ्यों को छिपाकर आवंटन

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

करवाया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाता है तो मुझे कोई आपति नहीं होगी।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 02 ने अपील लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में सभी पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों व दस्तावेजी साक्ष्य व कानूनी न्यायिक दृष्टांतों पर मनन कर कानूनी स्थिति अनुसार सही रूप से निर्णय पारित कर अपीलांट द्वारा तथ्यों को छुपाकर, कपटपूर्वक, दुर्व्यपदेशन से उक्त भूमि का आवंटन को विधि अनुसार निरस्त किया गया हैं। माननीय न्यायालय में अपीलांट द्वारा जो लिखित बहस पेश की गई है उसमें गलत व झूठे तथ्य वर्णित कर कोर्ट को मुगालते में रखने का प्रयास किया जा रहा है। अपीलांट द्वारा भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने के समय अपीलांट शंकरलाल के स्वयं के नाम व भाईयों के नाम संयुक्त खातेदारी की 70.10 बीघा खातेदारी की भूमि थी जिसमें अपीलांट का 1/3 हिस्सा था तथा अपीलांट के हिस्से में 23.12 बीघा भूमि थी तहसीलदार पोकरण द्वारा प्रस्तुत जबाव में भी अपीलांट के नाम की व हिस्से की 23.10 बीघा भूमि होना वर्णित किया हैं। अपीलांट बार–बार झूठे व गलत तथ्य पेश करने के सम्बन्ध मे अपीलांट के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने का निवेदन है। अपीलांट द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत प्रकरण पर लागू नहीं होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 02 ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRD 2002 Page 1
RRD 2006 Page 224
RRD 2006 Page 198
RLW 2014(2) Page 1060
RLW 2015(2) Page 942
RRT 2016(2) Page 1295

अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांट स्वयं ने स्वीकार किया है कि उसके हिस्से में नोशनल शेयर के हिसाब से 11 बीघा जमीन आ रही थी जबकि ग्राम पोकरण की जमाबंदी संवत 2025 से 2028 की प्रमाणित प्रतिलिपी क्रमांक 42 दिनांक 28.07.2009 के अनुसार 70.12 बीघा भूमि में 1/3 हिस्सा अपीलांट का आता है। अपीलांट द्वारा की गई कार्यवाही सद्भाविक नहीं है। अपीलांट द्वारा दिनांक 17.06.1972 को राजकीय भूमि खसरा संख्या 1182 में से 65 बीघा भूमि का आवंटन

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तथ्यो को छुपाकर, कपटपूर्वक, दुर्व्यपदेशन से करवाया गया है। अपीलांट द्वारा आवंटन तथ्यों को छुपाकर करवाया गया है जो प्राम्भत शून्य है जिसे कभी भी खारिज किया जा सकता है। अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों तथा न्यायिक दृष्टांतों के मद्देनजर अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर के राजस्व निगरानी संख्या 02/2009 बअनवान नखताराम बनाम शंकरलाल वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 19.12.2011 कोयथावत रखा जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

30/9/19

(राजेन्द्र सिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

यह आदेश आज दिनांक 30.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/9/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner